प्रकरण संख्या 43/2019 RCMS ID-2019/00080 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1 छिंगा पुत्र किशनलाल जाति कुम्हार निवासी गुवरेडा, तहसील मासलपुर जिला करौली
1/1 हंसराम पुत्र छिंगा
1/2 लज्जा पुत्र छिंगा
1/3 रामश्री पुत्री छिंगा
1/4 फूलो पुत्री छिंगा
1/5 स्वरूपी पुत्री छिंगा
1/6 लज्जाबाई पुत्री छिंगा
1/7 विन्दाबाई पुत्री छिंगा
1/8 रामनिरी पुत्री छिंगा
1/9 चन्दनिया वेबा छिंगा
समस्त जातियान कुम्हार निवासी गुवरेडा, तहसील मासलपुर जिला करौली – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–13.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 764, 767 रकबा क्रमशः 0–17, 0–18 बीघा ग्राम गुवरेडा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 764, 767 रकबा क्रमशः 0–17, 0–18 बीघा ग्राम गुवरेडा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2028–31 तक के खाता संख्या 228 किस्म गैर मुमकिन नाला से श्री छिंगा पुत्र किशन कुम्हार निवासी गुवरेडा के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में श्री छिंगा पुत्र किशन कुम्हार निवासी गुवरेडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 764, 767 रकबा क्रमशः 0–17, 0–18 बीघा बाके ग्राम गुवरेडा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2072–75 नामांतरकरण संख्या 63 दिनांक 21.0.1970 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी के फौत होने के कारण

उसके वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पिता छिंगा की मृत्यु दिनांक 22.08.2016 को हो चुकी है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थीगणकी ओर से ऑर्डर 1 रूल 10 की दर. पेश की जा चुकी है। प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं. 764 रकबा 17 बिस्वा आराजी खसरा नं. 767 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम गुवरेडा तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है उपरोक्त कृषि भूमि मौके पर समतल है तथा उपजाऊ भूमि है उक्त भूमि में गैर मुमकिन नाला मौके पर स्थित नहीं है। उपरोक्त कृषि भूमि उपजाऊ है उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण फसल काश्त करके अपना तथा अपने परिवार का पेट पालन करते चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि नहीं है। प्रार्थीगण ने काफी जिस्मानी मेहनत करके व काफी पैसा लगाकर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया है। उक्त भूमि उपजाऊ भूमि है तथा समतल भूमि है उक्त भूमि में होकर गै.मु. नाला मौके पर नहीं है प्रार्थी के परिवार का पेट पालन इसी भूमि से होता है। अंत में रेफरेंस खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 764, 767 रकबा क्रमशः 0–17, 0–18 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु नामांतरकरण सख्या 63 से किस्म क्रमशः बंजड 2, बारानी 3 से श्री छिंगा पुत्र श्री किशन कुम्हार निवासी गुवरेडा के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में श्री छिंगा पुत्र श्री किशन कुम्हार निवासी गुवरेडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम गुवरेडा की आराजी खसरा नंबर 764, 767 रकबा क्रमशः 0–17, 0–18 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:27:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: